

**कार्यालय,**

**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,**

**उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राविप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

संबद्धता दिनांक: 09/08/2021

**:-कार्यालय ज्ञाप:-**

अखिल भारतीय लघुशैक्षी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली फार्मसी क्वालिफिकेशन और इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु हिन्दोसा राष्ट्रीय लघुशैक्षी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के अग्रगत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यलय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संघस्थित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार: पाठ्यक्रम: प्रवेश क्षमता पुष्टि सहित अल्प पर विचार करने हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता: सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुषंग में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अखिल प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1902-PHARMACY COLLEGE , BADOLI SAHARANPUR			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आइ०सी०टी०ई०पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आइ०सी०टी०ई०पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1992 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेमैस्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं अट्रेशी का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इंटीग्रेड पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹0-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से वसूल किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर क्षमता द्वारा निर्गत किये जाने वाले शास्त्रादेश जमायी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही

किया जाना आवश्यक होगा। कौंसिल निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु कौंस का पुनर्निर्धारण किया जा रहा है, तो कौंस की नवीनताम दरे लागू होंगी।

- ✓ संस्था को (30वें पारिधिषिक शिक्षा समितियों तथा उच्च समितियों, संस्थाओं की सम्बद्ध किया जाता) विनियमधरणी-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। शीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की व्यवस्था की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्मित शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी किये गये विधिनियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, पारिधिषिक शिक्षा, 30वें, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 30वें तथा पारिधिषिक शिक्षा परिषद, 30वें द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कॉमर्सी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी सी आई, नई दिल्ली में अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में सम्बन्धित उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी व्यवस्था की लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। पारिधिषिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, पारिधिषिक शिक्षा निर्देशक एवं पारिधिषिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपुति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो सम्बन्धित प्रतिपुति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कॉमर्सी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवंटित प्रवेश परीक्षा हेतु क्वॉटिफिकेशन प्राप्त होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कावीअव को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (क्वॉटिफिकेशन के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं दयाल की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्मित नवीनतम आराक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की सम्बन्धित सूचना जैसे संस्था की ऐतिहासिक पुति भूमि, स्टाफ, सज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, आवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त प्रशासन उपलब्ध कराने के साथ वैशित रखने के सम्बन्ध में सम्बन्धित आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को छात्रों को हेतु निर्धारण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-स्वत, कर्तव्य, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपलब्ध का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशास की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्वीकृत निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, मयन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक व्यवस्था की जाएगी।

(शुनील कुमार शीमकर)

हविष

पुष्प/0- प्रशिक्षण/परिषद् सन्वत् 2021/3538-4889

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिष्ठिति-

सहायक प्रमुख, PHARMACY COLLEGE, BADOLI SAHARANPUR



(शुनील कुमार शीमकर)

हविष